पेश हो

12/2/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को हिदायत दी गई कि नियत तिथि से पूर्व नोटिस आवश्यक रूप से भेजकर पेश करें। पत्रावली दिनांक 9/3/18 को पेश हो।

12/3/18 9/3/18 तक अवकाश के पश्चात वकील पक्ष द्वारा अग्रेतर कार्य हेतु 13/4/18 को पेश हो।

13/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पूर्वानुसार पत्रावली कोर्ट कैम्प लांगडियावास में दिनांक 14/6/18 को पेश हो।

14/6/18 पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय आपके द्वारा कैम्प लांगडियावास में पेश हुई। भूतदास का निर्णय हो चुका है अब इस प्रार्थना 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं है इसलिये खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़